5/706/2049

संख्या–1395 /33–3–2019–212/2017

प्रेषक,

सोबरन सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई, 2019

विषयः– मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू. 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5/शा0/121/2019–5/43/2019 दिनांक 07.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू. 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101– पंचायतीराज–21– मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–42–अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू. 2500.00 लाख (रू. पच्चीस करोड़ मात्र) को निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त किया जाता है:–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिन मदों के लिए इसकी स्वीकृति दी जा रही है।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि की पुनरावृत्ति/दुरावृत्ति न हो।
(4) प्रशासनिक मद में न्यूनतम धनराशि का ही व्यय किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यो को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि किसी भी दशा में आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(7) धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी जब इसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।
(8) मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–81/2017/33–3–2017–212/2017 दिनांक 20.09.2017 एवं शासनादेश संख्या–585/33–3–2019–212/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03.2019 में निर्धारित शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

3– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/बी–1– 170/दस–2019–231/2019 दिनांक 22.03.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2905-5

(प्रवीणा चौधरी)
उप निदेशक पंचायत
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0
3-7-19
RGSA
Ashi
29/8/2019

भवदीय,

(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।

....2/.

Amit Srl.

Scanned by CamScanner

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0।
3. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय शंकर राय)
उप सचिव।

Amit Sri.

Scanned by CamScanner